

(निर्देश प्रथम पृष्ठ से)

(ग) यह है कि संज्ञा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व से जारी किए गए संज्ञा विवरण office memo no.-No./24/Spl/ID-4063/2012/31909/PIO Cell/PHO/dated 10/09/2012 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(घ) यह है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम (2011) की धारा 11 एवं 12 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(ङ) यह है कि दिल्ली पुलिस विभाग से वेतना विपरीत द्वारा स्वयं अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष लिखित ताल कर्मी वही के सम्बन्ध पर उपरोक्त पुलिस अधिकाड़ी विभागविरुद्ध किस भी प्रकार के अपमान (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) या अपमान (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) का उपाय कराया जाय।

(च) यह है कि उपरोक्त विपरीत द्वारा प्रत्यक्ष लिखित ताल कर्मी वही के सम्बन्ध पर उपरोक्त पुलिस अधिकाड़ी द्वारा प्रत्यक्ष लिखित ताल कर्मी वही के सम्बन्ध पर (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) या अपमान (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) का उपाय कराया जाय।

(छ) यह है कि उपरोक्त विपरीत द्वारा प्रत्यक्ष लिखित ताल कर्मी वही के सम्बन्ध पर उपरोक्त पुलिस अधिकाड़ी द्वारा प्रत्यक्ष लिखित ताल कर्मी वही के सम्बन्ध पर (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) या अपमान (जिससे पुलिस कर्मी अथवा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अपमानित हो सकें) का उपाय कराया जाय।

2. यदि वही, जो किस अधिकाड़ी के ऐसी दशा में विभागाध्यक्ष उपरोक्त विपरीत के खिलाफ आपराधिक अभियोग दायर करता है कि अपमान की प्रमाणित प्रति संभव पर जारी की जाये।

अतः श्रीमान वही से संबंधित प्रमाण है कि उपरोक्त संज्ञा की प्रमाणित प्रति संभव पर उपलब्ध कराई जाये।

प्रत्यक्ष ।

आदेशक

अ. ग. राव विशीर ल्याली
517/डी, भागी नं. 5,
विजय पार्क, दिल्ली - 53
फोन नं. 9968161721

सा. 10/- रूपये का आदेश नं. 37 एफ 982366 संख्या संलग्न है।